निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यो में कार्मिको को अनुबंध हेतु

–::विस्तृत दिशा – निर्देश::–

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) एक जैविक प्रमाणीकरण संस्था है जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी) अंतर्गत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एप.ए.बी.), नई दिल्ली से प्रत्यायित है तथा एपिड़ा, नई दिल्ली के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी) मानक के अनुसार निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण का कार्य करती है। प्रमाणीकरण कार्यो में कार्मिको के अनुबंध आधारित पारिश्रमिक मानदेय पर इच्छुक अभ्यर्थीयों से दिनॉक 26/11/2025 को सायं 05.00 बजे तक ऑफलाईन/रजिस्ट्रर्ड पोस्ट/कोरियर/ई–मेल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र सीजीसर्ट संस्था की वेबसाईट **www.cgcert.com** पर का अवलोकन किया जा सकता है।

1. **प्रमाणीकरण कार्य अंतर्गत अनुबंध किये जाने वाले कार्मिको हेतु शैक्षणिक अर्हता**

Name of Post	No of Post	Qualification	Experience
		1	2
Manager (Certification)	01	Post Graduate in Agriculture / Forestry / Forest Management / Biochemistry / Biotechnology / Food Technology / Microbiology / Environment Science with minimum 60 % marks + Computer diploma from recognized university	• At least 05 years of experience in the Field of Organic Production and Certification Programme. • Knowledge of NPOP, Organic Inspection, Evaluation & Certification. Or • At least 05 years of experience in relevant Government / Semi Government sector in relevant fields i.e Forestry / Forest Management / Agriculture / Biochemistry / Biotechnology / Food technology / Microbiology / Environment science.
Field Inspector	05	Post Graduate in Agriculture / Forestry / Forest Management / Biochemistry / Biotechnology / Food Technology / Microbiology / Environment Science with minimum 60 % marks + Computer diploma from recognized university	• At least 02 years of experience in the Field of Organic Production and Certification Programme. • Knowledge of NPOP, Organic Inspection, Evaluation & Certification. Or • At least 2 years of experience in relevant Government / Semi Government sector in relevant fields i.e Forestry / Forest Management / Agriculture / Biochemistry / Biotechnology / Food technology / Microbiology / Environment science.
Assistant Evaluator	02	• Post Graduate in Agriculture / Forestry / Forest Management / Biochemistry / Biotechnology / Food Technology / Microbiology / Environment Science with minimum 60 % marks + Computer diploma from recognized university.	Experience in relevant Government / Semi Government sector in relevant fields i.e Forestry / Forest Management / Agriculture / Biochemistry / Biotechnology / Food technology / Microbiology / Environment science.
Deputy Field Inspector	03		

Data Entry Operator	02	Graduate from any recognized University with minimum 55 % marks and Computer diploma from recognized university.	• Experience in relevant Government / Semi Government sector in relevant fields i.e Typing (Hindi and English) • MS Office, MIS, Software Handling etc
Assistant Grade - 3	01	Graduate from any recognized University with minimum 55 % marks and Computer diploma from recognized university.	• Experience in relevant Government / Semi Government sector in relevant fields i.e Typing (Hindi and English) / Establishment • MS Office, MIS, Software Handling etc

क्रमांक	पद का नाम	पारिश्रमिक
1.	मैनेजर (प्रमाणीकरण)	रू. 1992/– प्रतिदिन परियोजना कार्य दिवस अधिकतम रू. 51780/– प्रति माह
2	फील्ड इंस्पेक्टर	रू. 1019/– प्रतिदिन परियोजना कार्य दिवस अधिकतम रू. 26490/– प्रति माह
3	सहायक मूल्यांकनकर्ता	रू. 898/– प्रतिदिन परियोजना कार्य दिवस अधिकतम रू. 23350/– प्रति माह
4	डिप्टी फील्ड इंसपेक्टर	रू. 898/– प्रतिदिन परियोजना कार्य दिवस अधिकतम रू. 23350/– प्रति माह
5	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	रू. 898/– प्रतिदिन परियोजना कार्य दिवस अधिकतम रू. 23350/– प्रति माह
6	सहायक ग्रेड – 3	रू. 692/– प्रतिदिन परियोजना कार्य दिवस अधिकतम रू. 18000/– प्रति माह

2.1 कार्यदायित्व :–

2.1.1 मैनेजर (प्रमाणीकरण) – मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सहायक के रूप में प्रमाणीकरण गतिविधियों जैसे निरीक्षण /मूल्यांकन, प्रमाणीकरण संबंधित समस्त परियोजनाओं का संचालन एवं क्रियान्यवयन, कार्यालयीन स्तर पर महत्वपूर्ण बैठको का आयोजन, संचालन तथा प्रशासनिक कार्य।

2.1.2 फील्ड इंस्पेक्टर –सीजसीर्ट में प्रमाणीकरण गतिविधियों के अंतर्गत वार्षिक निरीक्षण योजना अनुसार घोषित, अघोषित, अतिरिक्त एवं जोखिम आधारित निरीक्षण का संपादन करना। जोखिम आधारित प्रक्षेत्र से नमूना संग्रहण कर कार्यालय को प्रेषित करना। निरीक्षण उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन सह आवश्यक दस्तावेज मूल्यांकनकर्ता को प्रेषित करना। निरीक्षण द्वारा किसी भी ऑपरेटर को सेवा प्रदाता के बतौर सेवा प्रदान नहीं की जावेगी ताकि प्रमाणीकरण की विश्वसनीयता बनी रहे।

2.1.3 सहायक मूल्यांकनकर्ता– सीजसीर्ट में प्रमाणीकरण गतिविधियों के अंतर्गत प्रमाणीकरण, निरीक्षण से संबंधित वार्षिक योजना का मूल्यांकन, निरीक्षण प्रतिवेदन का मूल्यांकन, वार्षिक निरीक्षण योजना तैयार करना, अनुपालन का मूल्यांकन एवं सत्यापन पश्चात स्कोप एवं ट्रॉजेक्शन सर्टीफिकेट जारी करना, मूल्यांकनकर्ता लंबित दस्तावेज, प्रमाणीकरण शुल्क, त्रुटी अनुपालन इत्यादि में मूल्यांकनकर्ता के सहायक के रूप में कार्य करना। इसके अतिरिक्त कार्यालयीन कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

2.1.4 डिप्टी फील्ड इंस्पेक्टर – सरल क्रमांक 2.1.2 में उल्लेखित फील्ड इंस्पेक्टर के सहायक के रूप में।

2.1.5 **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर** – मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, मूल्यांकनकर्ता, फील्ड इंस्पेक्टर के सहायक के रूप में, हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकन, कार्यालय सहायक तथा ट्रेसनेट में सहायक के रूप में कार्य।

2.1.6 **सहायक ग्रेड़ – 3** – मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, मूल्यांकनकर्ता, फील्ड इंस्पेक्टर के सहायक के रूप में, हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकन, कार्यालय सहायक तथा ट्रेसनेट में सहायक के रूप में कार्य तथा स्थापना संबंधी कार्य।

3. **पारिश्रमिकः–** अनुबंध में शामिल किये गये श्रेणी अनुसार कार्मिको को अनुमोदित पारिश्रमिक तथा निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्य हेतु वास्तविक टीए/डीए भुगतान किया जावेगा।

4. **आयु सीमाः–** आवेदक की अधिकतम आयु **01.01.2025** की स्थिति में 55 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

5. **निवासीः–** छत्तीसगढ़ के स्थानीय तथा राज्य के बाहर के अनुभवी उम्मीदवार भी अनुबंध आधार पर आवेदन कर सकेंगें।

6. अनुबंध किये जाने की प्रक्रिया एवं सामान्य दिशा निर्देश –

6.1 इच्छुक अभ्यर्थी संस्था की वेबसाईट **www.cgcert.com** का अवलोकन कर दिये गये प्रारूप में केवल ऑफलाईन/रजिस्ट्रर्ड पोस्ट/कोरियर/ई–मेल माध्यम से आवेदन दिनॉक 26/11/2025 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से पता – **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर, विधान सभा के पास, बलौदा बाजार रोड़, जीरो पॉईट, रायपुर, छ.ग – 493111** में प्राप्त किया जावेगा। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

6.2 आवेदन अपूर्ण (आवश्यक स्व प्रमाणित संलग्नक सहित) पाये जाने पर आवेदक के आवेदन पर पुर्नविचार नहीं किया जावेगा इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

6.3 दस्तावेज परीक्षण समिति द्वारा प्राथमिक आवेदन परीक्षण उपरांत केवल उपयुक्त अभ्यर्थियों को ही अंतिम अभिलेख सत्यापन एवं विटनेस आर्डिट / परीक्षण / मूल्यांकन / साक्षात्कार हेतु चयन समिति के समक्ष सीजीसर्ट कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना संस्था की वेबसाईट **www.cgcert.com** में उपलब्ध करायी जावेगी। इस संबंध में पृथक से कोई भी सूचना अभ्यर्थियों को नहीं दी जावेगी। अभ्यर्थियों को अनुबंध प्रक्रिया के तहत अभिलेख सत्यापन हेतु आने का यह तात्पर्य नही होगा कि उनका चयन हो गया है।

6.4 जैविक प्रमाणीकरण/ मूल्यांकन/ निरीक्षण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध प्रक्रिया के तहत प्राथमिकता दिया जावेगा।

6.5 अनुबंध अंतर्गत अस्थायी रूप से चयनित / शामिल अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि रू. 100/- के गैर - न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत हस्ताक्षरित एवं नोटरीकृत समझौता ज्ञापन की मूल प्रति सीजीसर्ट में प्रस्तुत करना होगा। तदोपरांत ही सीजीसर्ट के द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण देकर प्रमाणीकरण कार्य में संलग्न किया जावेगा।

6.6 अनुबंध अंतर्गत शामिल किये गये कार्मिक, रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे ताकि नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

6.7 यदि जैविक प्रमाणन दक्षता एवं कार्यालयीन आंतरिकता की मॉग तथा अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने कि स्थिति में कार्यालय की सहमति से अनुबंध को बढ़ाया जा सकेगा।

6.8 जैविक प्रमाणीकरण से संबंधित प्रमाणीकरण कार्यक्रम/कार्यालयीन कार्य में अनुबंध आधार शामिल अनुबंधित कार्मिक को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

6.9 यह अनुबंध पूर्णतः अस्थायी होगी। अनुबंध की अवधि अधिकतम 06 माह के लिए होगी तथा मासिक कार्य मूल्यांकन, कार्य संतोषप्रद होने तथा कार्य की आवश्यकता अनुसार अनुबंध की अवधि कार्यालय द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

6.10 अनुबंध किये गये कार्मिको को छत्तीसगढ़ एवं आवश्यकतानुसार अन्य प्रदेशों में निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण इत्यादि का कार्य संपादन करना होगा। इस हेतु कार्मिक को संस्था द्वारा संपूर्ण राज्य के बाहर किसी भी स्थान पर कार्यालय अथवा सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र भ्रमण / यात्रा प्रवास किया जाना होगा।

6.11 पद की आवश्यकता न होने की स्थिति में तथा अनुबंध के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक माह का पारिश्रमिक अथवा एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त की जा सकती है।

6.12 ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर दंडित किया गया हो वह चयन हेतु पात्र नहीं होगा।

6.13 किसी भी आवेदक द्वारा यदि गलत जानकारी प्रस्तुत की जाती है, तो अनुबंध प्रक्रिया के समय अथवा अनुबंध होने पश्चात किसी भी समय उसकी सेवा निरस्त की जा सकती है।

6.14 यह अनुबंध छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), रायपुर में किसी भी प्रकार के नौकरी, नियुक्ति या नियमितिकरण का आश्वासन नहीं करता।

6.15 अनुबंध में शामिल किये गये कार्मिको द्वारा यदि दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास के लिए असहमति दी जाती है तो तत्काल प्रभाव से उनकी अनुबंध समाप्ति की जावेगी।

6.16 अनुबंधित समस्त कार्मिक यदि किसी अन्य कार्यालयों में सेवा / व्यापार / शैक्षणिक गतिविधियॉ इत्यादि संलग्न पाये जाने या सूचना की पुष्टि होने पर उनका अनुबंध तत्काल समाप्त किया जावेगा।

7. मूल दस्तावेज सत्यापन–

अंतिम रूप से मूल दस्तावेज सत्यापन दिवस को आवेदक को आवेदन दौरान संलग्न किये गये दस्तावेजों के मूल दस्तावेज सहित कार्यालय छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), रायपुर में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी एवं मूल दस्तावेजों में अंकित जानकारी समान होने पर ही योग्यतानुसार अनुबंध किये जाने हेतु प्राप्त होगा। गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण यदि अनुबंध निरस्त की जाती है तो इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है :–

7.1 हाईस्कूल अंकसूची की मूलप्रति एवं छायाप्रति।

7.2 हायर सेकेण्ड्री अंकसूची की मूलप्रति एवं छायाप्रति।

7.3 स्नातक, स्नातकोत्तर एवं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची की मूल एवं छायाप्रति।

7.4 निवासी प्रमाणपत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति।

7.5 फोटो युक्त पहचान पत्र (आधारकार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स, पैनकार्ड या कोई भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान कार्ड)।

7.6 अनुभव प्रमाणपत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति।

7.7 अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छायाप्रति।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत
वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट)
रायपुर, छत्तीसगढ़